

उपस्थिति विधानसभा में केदारियत के साथ उत्तराखण्डियत को भी शक्ति देगी। बड़ी उत्सुकता से हम सबको इस महीने होने वाले चुनावों के नतीजों की प्रतीक्षा रहेगी।



**इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, जहाँ विश्वास है विश्वास का साथ।
हर ख्वाब को साकार करें, गुरु माँ के साथ**

**23% कैश
बैक**

1 आप फायनांस कराएं
किस्त हम देंगे



आज का आज !
सबसे तेज डिलीवरी एवं इंस्टॉलेशन

**अब LED TV
मात्र ₹990**

की मासिक किस्त में घर लायें

0 ब्याजमुक्त
फाइनेंस पर

मनपसंद उत्पाद घर ले जाएं शेष राशि आसान
ब्याज मुक्त मासिक किस्तों पर सुरक्षा



**50% तक की
छूट**

उत्पादों पर
अतिरिक्त वारंटी
@290/- से

**पुराना लाएं
नया ले जाएं**
पुराने की अच्छी कीमत पर

— सभी प्रतिष्ठित ब्रांड एक ही छत के नीचे उपलब्ध —



जैसे आपकी ख्वाहिशें, वैसी हमारी सेवाएं, सपनों को साकार करें



GURU MAA ELECTRONICS

-रुद्रपुर-

काशीपुर बाईपास (9690282777, 9756233166)
सिविल लाईन्स (9927882338), सोनी सेन्टर (9917170230)

-काशीपुर-

रामनगर रोड (8791989500)
चीमा चौराहा (9927813555)

RUDRAPUR | HALDWANI | KASHIPUR | GADARPUR | MORADABAD | KICHHA | PITHORAGARH | LALKUAN | HARIDWAR

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। अज्ञात वाहन चोरों ने अलग अलग स्थानों से दो मोटर साईकिलें चोरी कर लीं। घटना की रपट दर्ज करा दी गई है। दर्ज रपट में जयवीर सिंह पुत्र राजपाल ने कहा है 28 सितम्बर की रात्रि लगभग 9 बजे अपनी मोटर साईकिल संख्या यूके 06वी 5134 जो कि जितेंद्र पुत्र राजपाल के नाम दर्ज है पर सवार होकर शिमला बहादुर में एक स्कूल के पास हो रहे जागरण में लाइट का काम करने गया था। उक्त मोटरसाईकिल उसने वही पर खड़ी की थी। कुछ देर बाद उसने देखा उसकी मोटरसाईकिल अपने स्थान पर नहीं थी और वह किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। वहीं सिडकुल के 06 वीं गुलशन सिंह राणा ने कहा है कि उसने अपनी मोटर साईकिल संख्या यूके 06 वीं 5347 को 21 अगस्त 2023 को बोल्टाज कम्पनी की पार्किंग में प्रातः 8 बजे खड़ी की थी। सायं 5 बजे ड्यूटी समाप्त कर जब वह बाहर पार्किंग में आया तो उसकी मोटर साईकिल वहां मौजूद नहीं थी। पुलिस ने दोनों मामलों की रपट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

के दो पूर्व फैसलों को बतौर उदाहरण पेश किया गया था, कि मुसलमानों के संबंध में यह तय कानूनी व्यवस्था है कि उनमें जाति प्रमाण-पत्रों में जाति का उल्लेख करने का प्रचलन नहीं है। यहां सवाल उठता है कि जब जाति ही सुनिश्चित नहीं तो जातिगत आरक्षण कैसे दिया जा सकता है ? आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में मुसलमानों को अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण नहीं मिलता है। उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में ही आरक्षण का लाभ मिलता है। दरअसल केंद्र की ओबीसी सूची में 'मुसलमान' जैसा कोई शब्द दर्ज नहीं है। लेकिन 'बुनकर' शब्द उल्लेखित है। बुनकरों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। लिहाजा बुनकर मुस्लिम हैं तो उन्हें जाति प्रमाण-पत्र मिल जाता है। हालांकि अपवादस्वरूप मुसलमान जाति का जिक्र करते हैं। इनमें मोमिन और जुलाहा जैसे जाति समुदाय शामिल हैं, इन्हें ओबीसी का जातीय प्रमाण-पत्र मिल जाता है। लेकिन बड़ा विषय यही है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख नहीं है, तो फिर जातीय प्रमाण-पत्र कैसे मिल सकता है ? जातिगत आरक्षण के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 16 की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अतएव आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पीछे रह गई जातियों को आरक्षण का लाभ इसलिए दिया जाता है, जिससे वे संविधान के समानता के सिद्धांत का लाभ उठाकर अन्य जातियों के बराबर आ जाएं। बावजूद आरक्षण किसी भी जाति के समग्र उत्थान का मूल कभी नहीं बन सका ? क्योंकि आरक्षण के सामाजिक सरोकार केवल संसाधनों के बंटवारे और उपलब्ध अवसरों में भागीदारी से जुड़े हैं। इस आरक्षण की मांग शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार और ग्रामीण अकुशल बेरोजगारों के लिए सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी से जुड़ गई हैं। परंतु जब तक सरकार समावेशी आर्थिक नीतियों को अमल में लाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक नहीं पहुंचती तब तक पिछड़ी या निम्न जाति या मुसलमान अथवा आय के स्तर पर पिछले छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार नहीं आ सकता ?

प्रमोद भार्गव, लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं ।

पूर्व में भी अनुज्ञापी की खिलाफ लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाते हुए कई बार नाबालिगों को भी शराब की विक्री करने, रसूख दिखाते हुए कई बार ग्राहकों से बत्तमीजी करने, जिम्मेदारों द्वारा खुलेआम संरक्षण मिलने से शराब कारोबारियों और शराब माफिया के हौसले बुलंद होने के आरोप लगाए हैं। समाजिक कार्यकर्ता दिनेश सिंह नरेंद्र सिंह पून सिंह बसंत पांडे गोपाल सिंह सहित अन्य लोगों ने खुलेआम आबकारी नियमों की धज्जिया उड़ाने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी से मामले की जाँच कराकर आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के लिए चेकिंग अभियान चलाने की मांग की है। वहीं आबकारी निरीक्षक ने मामले में जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है।

देहरादून। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर नहीं लग पाई। लिहाजा, आरक्षण का फार्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने नगर निकायों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। बाद में एक अनुपूरक रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। उधर, ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी थी। निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए शासन ने नियमावली तैयार की थी, जिस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। वैसे लक्ष्य था कि अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी डीएम के स्तर से फार्मूले के हिसाब से पदों का आरक्षण जारी करते हुए आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। फिर निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। चूंकि प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, इसलिए 10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश के 102 में से 99 नगर निकायों की वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि बाकी निकायों की वोटर लिस्ट का काम भी आठ नवंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश में करीब 30 लाख मतदाता हैं। आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है।

दुरुस्त करने तथा छठ घाटों में स्वच्छ जल की आपूर्ति करने हेतु संबंधित को आदेशित करें उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी ने छठ पूजा संपन्न करने के लिए जो भी आवश्यकताएं होगी शासन प्रशासन द्वारा उन्हें पूरा किए जाने का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि इस समय क्षेत्र में सैकड़ों छठ घाट हैं जिनकी साफ सफाई प्रकाश व्यवस्था मरम्मत आदि का कार्य किया जाना अति आवश्यक हो गया है उन्होंने कहा कि किसी भी छठ घाट पर कोई कमी ना रह जाए इसके लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। इस अवसर पर अवसर पर वीरेंद्र वर्मा, धनञ्जय सिंह, विशाल चौहान, मुन्ना चौबे, ब्रह्मानंद पुरोहित, नवीन सिंह, संदीप सिंह, संजय आदि लोग उपस्थित रहे।

संस्थापक- स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व० तिलकराज सुखीजा
 स्वात्मित्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स,
 श्याम टीकी ज रोड, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
 आरएनआई नं.: UTTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।
E-mail-darpan.rdr@gmail.com, www.uttaranchaldarpan.in
 फोन-245886 (O) 245701 (Fax), 9897427585, 9897427586 (Mob.)

